राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.13(2)साप्र / 2 / 2013पार्ट जयपुर, दिनांकः 08-02-2021

— : आदेश :—

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा झुन्झुनू जिलें की नगरपालिका विद्याविहार के आम चुनाव फरवरी – मार्च, 2021, (संलग्न सूची अनुसार) से संबंधित प्राप्त पत्र मूल ही संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। मतदान दिनाक 20.2.2021 को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग–7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने के लिए नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सम्बन्धित अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (जीबी),मुख्यमंत्री कार्यालय ।
8. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. उप सचिव,राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान,जयपुर को उनके पत्र कमांक 888 दिनांक 1.2.2021 के कम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. निबन्धक राजस्व मण्डल,अजमेर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
15. संम्भागीय आयुक्त, जयपुर, ।
16. जिला कलक्टर, झुन्झुनू ।
17. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर बैंच, जयपुर।
18. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान / समस्त निगम / मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव,सामानय प्रशासन (ग्रुप–1,3,4,5,6)विभाग / सम्पदा विभाग,शासन सचिवालय जयपुर।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली

डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.13(2)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांकः 08-02-2021

–: आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा झुन्झुनू जिलें की नगरपालिका विद्याविहार के आम चुनाव फरवरी – मार्च, 2021 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है (प्रति संलग्न है)। घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिनांक 20.2.2021 (शनिवार) को होने के कारण संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी),झुन्झुनू को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी),झुन्झुनू को अधिकृत किया जाता है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (जीबी),मुख्यमंत्री कार्यालय ।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. उप सचिव,राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान,जयपुर को उनके पत्र कमांक 856 दिनांक 1.2.2021 के कम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. निबन्धक राजस्व मण्डल,अजमेर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
15. संम्भागीय आयुक्त, जयपुर ।
16. जिला कलक्टर, झुन्झुनू
17. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
18. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव,सामानय प्रशासन (ग्रुप–1,3,4,5,6)विभाग /सम्पदा विभाग,शासन सचिवालय जयपुर।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली

8/2/21

डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल

291

कार्यालय शासन सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रिमण्डल सचिवालय
डायरी क्रमांक 1012
3-02-2021

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर- 302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.4(1)(1) / नपा / रानिआ / 2021 / 855 दिनांकः 01/02/2021

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या : 40
दिनांक : 03-02-2021

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषय :- झुन्झुनूं जिले की नगरपालिका विद्याविहार के आम चुनाव, फरवरी-मार्च, 2021-मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के झुन्झुनू जिले की नगरपालिका विद्याविहार के आम चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 04.02.2021 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 20.02.2021 को होगा। आम चुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

अतः मतदान दिवस दिनांक 20.02.2021 को इस नगरीय निकाय क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाएं। यदि कहीं किसी कारण से पुर्नमतदान की स्थिति बनती है तो पुर्नमतदान के दिवस भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाने का कष्ट करावें।

संलग्न :- चुनाव कार्यक्रम।

भवदीय,

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

क्रमांकः एफ.4(1)(1) / नपा / रानिआ / 2021 / 856 दिनांकः 01/02/2021

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) झुंझुनूं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

JS, GAD-2

2.2.21

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

झुन्झुनूं जिले की नगरपालिका विद्याविहार का आम चुनाव माह फरवरी–मार्च, 2021

चुनाव कार्यक्रम

सदस्य पद के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	04.02.2021 (गुरूवार)
2.	नामाकन पत्रो को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	09.02.2021 (मंगलवार) (प्रत्येक दिवस को, दिनांक 07.02.2021 (रविवार) को छोडकर) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	10.02.2021 (बुधवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि	12.02.2021 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	13.02.2021 (शनिवार)
6.	मतदान की तिथि	20.02.2021 (शनिवार)
7.	मतदान का समय	प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
8.	मतगणना की तिथि एवं समय	22.02.2021 (सोमवार) प्रातः 9.00 बजे से

अध्यक्ष के लिए

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	23.02.2021 (मंगलवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	24.02.2021 (बुधवार) प्रत्येक दिवस को प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	25.02.2021 (गुरूवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	26.02.2021 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	26.02.2021 (शुक्रवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	01.03.2021 (सोमवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	01.03.2021 (सोमवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

उपाध्यक्ष के लिए

1.	निर्वाचन की तिथि	02.03.2021 (मंगलवार)
2.	निर्वाचन प्रक्रिया हेतु समय–सारणी	
	बैठक का प्रारम्भ	प्रातः 10.00 बजे
	नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण	प्रातः 11.00 बजे तक
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	प्रातः 11.30 बजे से
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 2.00 बजे तक
	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 2.30 बजे से 5.00 बजे तक
	मतगणना	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

चित्रा

कार्यालय शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रिमण्डल सचिवालय
डायरी क्रमांक 1018
दिनांक 03-02-2021

293

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas Khand, Secretariat, Jaipur – 302005)

No. F.4(1)(1) NP/SEC/2021/887

Dated : 01/02/2021

ORDER

The State Election Commission has announced programme on 29th January, 2021 for the conduct of General Elections for Member in 01 ULB of Jhunjhunu District in the State. Copy of the election programme is enclosed with the letter. With the announcement of elections, the Model Code of Conduct has come into force with immediate effect. The Model Code of Conduct also provides that there shall be a ban on the transfer of all officers/officials of the State Govt. This ban shall be effective till the completion of these elections.

Therefore, in the interest of free and fair election and to ensure that an atmosphere of trust and confidence is maintained during the conduct of elections, the State Election Commission under its powers conferred upon by Article 243 ZA of the Constitution of India, further directs that there shall be a ban on the transfers of all officers/officials connected with the conduct of elections. These included but are not restricted to;

1. District Election Officers.
2. Returning officers and Asstt. Returning Officers.
3. Superintendent of Police, Addl./Deputy Superintendent of Police and police station Incharge.
4. Addl. District Magistrates, Sub-Divisional Officers, Tehsildars, Vikas Adhikaris and other officers in the district administration.
5. Officers and Officials of other departments/institutions who can be deployed for election related duties by the District Election Officers and Returning Officers, and
6. Officers and Officials of any other department or institution controlled by the State Govt. who may be in the position to influence voters.

The State Election Commission will, however, consider such cases of transfer of officers/officials which are deemed absolutely necessary due to certain circumstances. The concerned Department of the State Government should make specific references to the State Election Commission on all such proposals alongwith full justification for the same.

These orders shall be effective till the completion of the elections.

Enclose : Election Programme.

By order,

01.02.2021

(Ashok Kumar Jain)
Dy. Secretary

No. F.4(1)(1) NP/SEC/2021 / 888 – 95

Dated : 01/02/2021

Copy to the following necessary action :-

1. The Chief Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur.
2. The Pr. Secretary to Government, Department of Home, Rajasthan, Jaipur
3. The Secretary to Government, GAD, Rajasthan, Jaipur.
4. The Pr. Secretary to Government, Department of Personal, Rajasthan, Jaipur.
5. The Director General of Police, Rajasthan, Jaipur.
6. The Divisional Commissioner, Jaipur, Rajasthan.
7. District Election Officer (Collector) Jhunjhunu.
8. Commisioner, Information & Public Relation Department, Rajasthan, Jaipur.

01.02.2021

(Ashok Kumar Jain)
Dy. Secretary

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या : 470
दिनांक : 04-02-2021

B, GAD-2
3.2.21

SO-2
04-02-2021
SO
4/2/21

294

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

झुन्झुनूं जिले की नगरपालिका विद्याविहार का आम चुनाव माह फरवरी–मार्च, 2021

चुनाव कार्यक्रम

सदस्य पद के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	04.02.2021 (गुरुवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	09.02.2021 (मंगलवार) (प्रत्येक दिवस को, दिनांक 07.02.2021 (रविवार) को छोड़कर) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	10.02.2021 (बुधवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि	12.02.2021 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	13.02.2021 (शनिवार)
6.	मतदान की तिथि	20.02.2021 (शनिवार)
7.	मतदान का समय	प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
8.	मतगणना की तिथि एवं समय	22.02.2021 (सोमवार) प्रातः 9.00 बजे से

अध्यक्ष के लिए

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	23.02.2021 (मंगलवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	24.02.2021 (बुधवार) प्रत्येक दिवस को प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	25.02.2021 (गुरुवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	26.02.2021 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	26.02.2021 (शुक्रवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	01.03.2021 (सोमवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	01.03.2021 (सोमवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

उपाध्यक्ष के लिए

1.	निर्वाचन की तिथि	02.03.2021 (मंगलवार)
2.	निर्वाचन प्रक्रिया हेतु समय–सारणी	
	बैठक का प्रारम्भ	प्रातः 10.00 बजे
	नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण	प्रातः 11.00 बजे तक
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	प्रातः 11.30 बजे से
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 2.00 बजे तक
	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 2.30 बजे से 5.00 बजे तक
	मतगणना	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

चिन्नी